



**कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर**  
**फोन.नं. 2535780,90, फैक्स : 0771-2227395**  
**E-mail :- dc-rme@rediffmail.com**



ज्ञापन

क्रमांक..... / भ.नि.अ.प्र. / न.पा.नि / 2011

रायपुर दिनांक ..... / 08 / 11

प्रति,

जोन कमिशनर  
 जोन कमांक १,२,३,४,५,६,७ व ८,  
 नगर पालिक निगम, रायपुर

(A.G.P.)  
 ८८/८८

विषय :- भूमिगत जल संरक्षण के संबंध में।

- संदर्भ :- 1. उपसचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र  
 क्रमांक- 6702 / 7733 / 18 / 2009 दिनांक 30.12.2009  
 2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के  
 पत्र क्रमांक- 5345 / 4273 / 18 / 2011 दिनांक 23.07.2011

-----000-----

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में सूचित है कि भूमिगत जल संरक्षण की दिशा में रेन वाटर हार्डिंग सिस्टम को जन कल्याणकारी योजना की परिधि में सम्मिलित करते हुए संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न) कृपया संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए रेन वाटर हार्डिंग सिस्टम को सभी भवन निर्माणकर्ताओं को पालन कराना सुनिश्चित करें।

नगर निवेशक  
 नगर पालिक निगम  
 रायपुर

पृ. क. .... / भ.नि.अ.प्र. / न.पा.नि / 2011

रायपुर दिनांक ..... / 08 / 11

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/सभापति, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. भार साधक सदस्य, नगर निवेश विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतिरिक्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन अभियंता (जल), नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर निवेशक  
 नगर पालिक निगम,  
 रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक / 4273 / 18 / 2011 रायपुर दिनांक 07 / 2011

1. समस्त आयुक्त,  
नगर पालिका निगम  
छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषट नगर पचायत  
छत्तीसगढ़।

विषय :- भूमिगत जल संरक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक 6702 / 7733 / 18 / 2009 दिनांक 30.12.2009

— 00 —

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भूमिगत जल संरक्षण के संबंध में प्रसारित की गई अनेकाधिकारीयता प्रक्रिया एवं सुरक्षा राशि को यथा युक्तियुक्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं -

- 01 भवन अनुज्ञा अनुज्ञात किये जाने वाले 150 वर्गमीटर से अधिक आकार भूखण्डों व लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 02 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में वर्षा जल संरक्षण हेतु छग भूमिविकास नियम 1984 के नियम 78 परिशिष्ठ-३-१, ३-२ एवं ३-३ के विकल्पों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
- 03 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व आवेदक से सुरक्षा राशि जमा कराई जावेगी। सुरक्षा राशि मात्र भारतीय रिजिस्ट्रेक्शन द्वारा उधिसूचित बैंकों/डाकघर द्वारा जारी सावधि जमा रसीद (फिक्स डिपॉजिट) जो निकाय के यथा आयुक्त/मुनिपा अधिकारी के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा कराई जावेगी। निकाय द्वारा इस मद में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा।

04. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कडिका-2 के अनुसं  
सतोषप्रद ढग से स्थापित किये जाने की निकाय द्वारा निरीक्षण उद्दर्श्य दुष्टि क  
लिये जाने के उपरात सुरक्षा राशि की सावधि जमा रखीद, निकाय द्वारा अवमुक्त व  
गपिस की जावेगी।
05. भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा की अवधि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण ए  
रख-रखाव स्थापना प्रावधानित विधि से पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदक :  
जमा कराई गई सुरक्षा राशि की सावधि जमा को व्याज सहित निकाय के पक्ष  
राजसात किया जावेगा एवं उक्त राजसात की गई राशि से सबधित निर्दिष्ट भवन ए  
भूखण्ड के खुले भाग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जावेगा। उक्त  
राशि निकाय द्वारा व्यय किये जाने की स्थिति में सबधित निकाय के यथा  
आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।
06. सुरक्षा/राशि

एकल इकाई भवनों रो-हाऊसिंग एवं कॉलोनी विकास के प्रकरणों में सुरक्षा  
राशि की गणना निम्नानुसार की जाकर आरोपित की जावेगी।

(अ) एकल इकाई भवन (Singal Unit) :- एकल इकाई भवन हेतु सुरक्षा राशि की  
गणना संपूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर ₹ 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से कर्तव्य  
जावेगी, किन्तु इस श्रेणी के भवनों के लिए सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा  
₹ 15,000.00 होगी।

(ब) रो-हाऊसिंग (Row Housing) - रो-हाऊसिंग योजना के अंतर्गत सुरक्षा राशि की  
गणना भूखण्ड क्षेत्रफल जिस पर भवनों का निर्माण प्रस्तावित है पर ₹ 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से तथा शेष क्षेत्र के क्षेत्रफल पर राशि ₹ 1.0 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना कर अधिरोपित की जावेगी, किंतु रो-हाऊसिंग के संपूर्ण योजना अभिन्यास के लिए सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा राशि ₹ 10,00 लाख होगी।

(स) ग्रुप हाऊसिंग (Group Housing) - ग्रुप हाऊसिंग के लिए सुरक्षा राशि की  
गणना एवं अधिकतम सीमा कडिका-6 (ब) रो-हाऊसिंग के समान होगी।

(द) बहुइकाई भवन (Group Housing) :- बहुइकाई भवनों के लिए सुरक्षा राशि की  
गणना संपूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल का ₹ 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से कर्तव्य  
जावेगी, किन्तु अधिकतम सीमा इकाईयों की संख्या  $\times$  15,000.00 ₹ एवं  
गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक नहीं होगी।



(इ) कॉलोनी विकास (Development of Colony) - कॉलेनी विकास के उत्तरण में सुरक्षा राशि की गणना भूखण्डो एवं सड़क की भूमि को छोड़कर शाष्ट्र क्षेत्रफल पर राशि ₹ 100 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से की जावेगी किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख होगी।

कॉलोनी में भूखण्ड क्रय करने थाले हितप्राहिया से सुरक्षा कंडिका 6 (अ) के अनुसार गणना कर आरोपित की जावेगी।

(फ) वाणिज्यिक / सार्वजनिक / अद्व्यावजनिक / औद्योगिक भवनों / परिसरों के प्रकरणों में भी सुरक्षा राशि की गणना ₹ 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल पर की जावेगी किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा राशि ₹ 10.00 लाख होगी।

निकाय द्वारा भवन निर्माण/छग नगर पालिका कॉलोनीहाईटर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते नियम 1998 के तहत यथा निम्न विकास की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व अन्य देय कर/शुल्क की राशि जमा कराये जाने के साथ ही सुरक्षा राशि (FDR के रूप में) जमा कराय जाना सुनिश्चित किय जावेगा।

07. निकाय द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पर 200 वर्ग मीटर आकार के भूखण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा दिए जाने हेतु छग भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (3) के अनुसार पंजीकृत वास्तुविद सरचन इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा भी 150 वर्ग मीटर से अधिक एवं 200 वर्ग मीटर से अनधिक आकार के भूखण्डों से निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व कंडिका के अनुपालन करते हुए कंडिका (6) के अनुसार सुरक्षा राशि सावधि जमा रसीद के रूप में जमा कराई जाने के उपरांत की निर्माण की अनुज्ञा जारी कर सकेंगे तथा सावधि जमा रसीद निकाय में जमा कराकर पावती प्राप्त करेंगे।

08. रेनवाटर हार्डस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किये जाने पर शास्ति - ऐसे भवन जो 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड पर पूर्व से निर्मित है तथा उन रेनवाटर हार्डस्टिंग का प्रावधान अद्यतन नहीं किया गया है पर प्रतिवर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्गमीटर पर ₹ 1000.00 के मान से वार्षिक शास्ति आरोपित की जावेगी। इस प्रकार की शास्ति तब तक आरोपित की जावेगी जब तक कि भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेनवाटर हार्डस्टिंग सिस्टम स्थापित करारीय निकाय को इसकी लिखित सूचना नहीं दी जाती है।

उक्त शास्त्रिन की राशि की वसूली नगरीय निकाय द्वारा भवन स्थान से संपर्क कर के साथ की जावेगी। किसी भी परिस्थिति मे शास्त्रिन की राशि वापसी के योग नही होगी।

09. शासकीय भवनो/समरत सार्वजनिक भवन निर्माण मे इसकी अनिवार्यता का प्रावध रखा जावे।
10. अभिन्यास स्वीकृति मे इसके लिए प्रावधानित समय सीमा भवन अनुज्ञा एव विका अनुज्ञा के लिए समान ही रखी जावे।
11. रेनवाटर हार्डस्ट्रिंग सिस्टम की पूर्णता के पश्चात ही नल संयोजन भवन पूर्णता एव विद्युत अनापति दिया जावे।
12. निकाय स्तर पर निकायो के अभियंता एव सभी पंजीकृत अभियंताओ को अनिव प्रशिक्षण दिया जावे।
13. सशोधित प्रक्रिया आदेश जारी किए जाने की तिथि से प्रभावशील होगी। कृपया सशोधित निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(एम.आर.ठाकुर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ शासन

नगरीय प्रशासन एव विकास विभ

रायपुर, दिनांक २३/०७/२०

पृष्ठ ५३५८ / 4273 / 18 / 2011

प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एव विकास विभा
- 2 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एव विकास, संचालनालय, रायपुर।
- 3 अधीक्षण अभियंता, नगरीय प्रशासन एव विकास, संचालनालय, रायपुर।
- 4 अधीक्षण अभियंता, नगरीय प्रशासन एव विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, बिलासपु
- 5 सयुक्त सचालक, नगरीय प्रशासन एव विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, बिलासपुर जगदलपुर/सरगुजा।
- 6 गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यगाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ शासन

नगरीय प्रशासन एव विकास वि